समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, केम्प जबलपुर

निगरानी प्र. क्र. नि० / 3891-I-15

564

श्री कैलाश चौरसिया
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
05 NOV 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

निगरानीकर्ता :- (1) श्यामानुज शर्मा पुत्र स्व. कैलाश शर्मा

(2) राजनारायण पुत्र वृन्दावन प्रसाद

(3) पार्वती बाई पत्नि श्री वृन्दावन प्रसाद

(4) श्रीमति रजनी बाई पत्नि स्व. कैलाश शर्मा,

सभी निवासी ग्राम महगवां (छपरा) तहसील पाटन जिला जबलपुर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :- राजेश कुमार भारद्वाज पुत्र वृन्दावन प्रसाद आयु 50 वर्ष निवासी म. नं. 136 कालभैरव मंदिर संजीवनी नगर गढा जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

निगरानीकर्ता निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 30/अ27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 से परिवेदित होकर माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते है:-

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3897-एक/15 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 30/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार पाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2012 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 10.04.2015 को अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 26.10.2015 द्वारा विलंब क्षमा किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: अनावेदक के तर्क प्रचलनशीलता के बिन्दु पर सुने गए। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में दिए गए तर्कों एवं प्रस्तुत लिखित आपत्ति पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2015 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। जिसके विरुद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष दिनांक 17.11.2015 को पेश की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अनावेदक के इस तर्क में बल है कि यह निगरानी निरर्थक हो गई है। इस संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश एवं आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील की छायाप्रतियां पेश की गई हैं। दर्शित परिस्थिति में यह पाया	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाता है कि यह निगरानी निरर्थक हो गई है, जिसे चलाए रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	